

अनुदान संख्या 91 – कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
GRANT No. 91 - MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2923,03,00		
		2923,04,00	2558,26,96	-364,77,04
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			364,54,47

पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	79,18,00	74,17,22	-5,00,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4,99,72

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services			
मू.	O.	19950.00		
		18568.68	18567.29	-1.39
पु.	R.	-1381.32		

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2230”	Major Head “2230”			
श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Labour, Employment and Skill Development			
मू.	O.	163213.00		
पू.	S.	1.00	166272.57	166270.02
पु.	R.	3058.57		-2.55
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	27030.00		
		
पु.	R.	- 27030.00		..
मुख्य शीर्ष “3601”	Major Head “3601”			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	79150.00		
			68614.58	68610.26
पु.	R.	-10535.42		-4.32

(I) ₹27030.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष “2552” – “प्रशिक्षण – शिक्षुता प्रशिक्षण – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा

(I) Provision of ₹27030.00 lakh remained wholly unutilised in one case under Major Head “2552” - “Training - Apprenticeship Training - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान” के अंतर्गत ₹1359.92 लाख की बचत हुई (₹14628.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, पेशेवरों को नहीं रखे जाने, कम प्रशिक्षण कार्यशालाओं के होने, दावों की प्राप्ति न होने, कोविड-19 महामारी की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹5691.34 लाख की बचत (₹58964.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “अनुसूचति जाति विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹3276.18 लाख की बचत (₹13059.55 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “जनजाति क्षेत्र उप-योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹1572.22 लाख की बचत (₹7126.05 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति न होने और राज्य सरकारों से कम मांग होने के कारण हुई।

(IV) ₹361.74 लाख की बचत एक शीर्ष के अंतर्गत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3888.80 लाख) प्रयुक्त हो गई; जैसा कि फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष “2230” – “प्रशिक्षण – शिक्षता प्रशिक्षण – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat - National Skill Training Institutes” - saving of ₹1359.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14628.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-hiring of professionals, less training workshops, non-receipt of claims and slow pace of work owing to Covid-19 pandemic.

(III) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads :-

(A) “Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹5691.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58964.40 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹3276.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13059.55 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹1572.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7126.05 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of utilisation certificates and less demand from State Governments.

(IV) Under one head saving of ₹361.74 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹3888.80 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head “2230” - “Training - Apprenticeship Training - Pradhan Mantri Kaushal

अधिक व्यय, तथापि, ₹3887.71 लाख था।

Vikas Yojana". Actual excess, however, was ₹3887.71 lakhs.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹268.05 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹268.05 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹41.50 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और यह अंततः अभ्यर्पित हो गया।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹41.50 lakhs remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.
